जल एक सामाजिक वस्तु भी है – एक समाजशास्त्रीय विवेचन

डॉ. जगजीत सिंह कविया
व्याख्याता समाजशास्त्र
राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू

100 वर्ष पहले किसी ने शायद ही कभी सोचा हुआ कि 1 दिन हमें खरीद कर पानी पीना पड़ेगा ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आजकल हम सब स्वच्छ हवा के बारे में सोचते हैं यह तो प्रकृति की देन है इसे भी क्या खरीद कर सास लेनी होगी प्राकृतिक संसाधन के तौर पर पानी तब प्रचुरता में उपलब्ध था अतः इसके लिए पैसा अदा करने का सवाल ही उत्पन्न नहीं होता कालांतर में यही स्वच्छ जल उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकारों के हिस्से में आई यह वह दौर था जब शहरों का विकास हो रहा था पर्याप्त स्वच्छ जल संसाधन उपलब्ध थे प्रवासी बस आवटो का विस्तार प्रारंभिक स्तर पर ही था परंतु यदि हम आज के परिप्रेक्ष्य में देखें और इसे लोक कल्याणकारी राज्य के दायित्व से जोड़ने का प्रयास करें तो यह ना काफी होगा क्योंकि आज हालात पूरी तरह बदल चुके हैं इसका स्पष्ट प्रमाण हमारी वर्तमान जल प्रबंधन एवं वितरण व्यवस्था में देखने को मिलता है जहां आज भी जल वितरण के नाम पर सरकारों द्वारा जनता से ना के बराबर अंशदान लिया जाता है और यही वित्तीय कुशासन सरकारी तंत्र की लापरवाही भारत को वैश्विक पटल पर जल वितरण के संबंध में से देशों के समूह में सम्मिलित करती है जहां पेयजल गुणवत्ता का स्तर बहुत निम्न है इसका स्पष्ट कारण है पानी के लिए पैसा वसूल नहीं करना।

प्रस्तुत शोध पत्र में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया है कि जल जिसे कि हम प्राकृ तिक संसाधन मानकर इसके प्रति अपने उत्तरदायित्वो से मुंह फेर लेते है एक सामाजिक वस्तु भी है यह सत्य है कि जल जीवन का आधार है इसके अभाव में हम ना केवल प्राणी की वरन जीव जंतु और वनस्पति की इस धरती पर कल्पना भी नहीं कर सकते परंतु यही हमें ध्यान देना चाहिए कि जल एक सामाजिक वस्तु भी है जिसका नागरिक एवं विकास मूल्य भी है इस रूप में इसका संरक्षण संवर्धन करना भी प्रत्येक प्राणी का नेतृत्व सामाजिक दायित्व है जल के इसी सामाजिक कलेवर को इस शोध पत्र में प्रस्तुत किया गया है।

जल एक आवश्यकता की पूर्ति के लिए उपयोग किया जाता है इन उपयोगों को मुख्य रूप से तीन श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है जीवन के लिए नागरिकों के लिए और विकास के लिए जीवन के लिए जल को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है क्योंकि इसका संबंध में केवल मानव मात्र के अस्तित्व के लिए।

बल्कि खाद्य श्रृंखला में अन्य प्राणियों के जीवन से भी है जल का यह कार्य पर्यावरण प्रणालियों की संपोषणीयता कि गारंटी को आवश्यक रूप देता है ताकि न्यून मात्रा में स्वच्छ जल सभी के लिए उपलब्ध हो सके।

नागरिकों के लिए जल का संबंध सार्वजनिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक संस्थाओं से जुड़े जिसमें कहीं ना कहीं सामाजिक समरसत्ता और समानता का मूल्य निहित है।

वही विकास हेतु जल एक आर्थिक क्रिया है और उसका संबंध उन उत्पादक गतिविधियों से है जो कैसी के लिए सिंचाई पनबिजली अथवा उद्योग जैसे सार्वजनिक व निजी हितों को पूरा करते है और यही जल के स्थानीय अभाव के साथ–साथ प्रदूषण की समस्याएं पैदा करने के लिए मुख्यत उत्तरदायी है।

जल जीवन है जल का जनक और पोषक भी फिर क्या कारण है कि जल के इस निहायत जरूरी पन के प्रति आमजन में जागरूक का नितांत अभाव है हममें से कितने लोग ऐसे हैं जिन्हें अक्सर सड़को गली मोहल्ला सार्वजनिक शौचालय में नल की खराबी के कारण व्यर्थ बहते जल को देखकर मानसिक व्यथा होती हो और हाथ अनायास उसे रोकने को बढ़ते हैं आम अनुभव की बात है कि नल में पानी नहीं आ रहा हो तो उनमें से अधिकांश लोग उसे खुला ही छोड़ कर चले जाते हैं इस बात की लेशमात्र भी चिंता किए बिना की जब वास्तव में पानी आएगा तब क्या कोई अदृश्य शक्ति उसे बंद करने वहां आएगी ?

वास्तव में देखा जाए तो दैनिक एवं सार्वजनिक जीवन के इन छोटे–छोटे किंतु अत्यंत महत्वपूर्ण मामलों की अनभिज्ञता अथवा उनके प्रति उदासीनता की हमारे देश के लिए सबसे बड़ा अभिशाप है यह सर्वविदित है कि विशाल जनसंख्या वाले हमारे देश में कोई भी योजना चाहे वह जल संरक्षण की हो परिस्थितिकी के बचाव की हो अथवा प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की वे तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक जनसाधारण का उस में सहयोग हासिल ना हो तेजी से घटते भूजल समृद्धि कार्यक्रमों में जनता स्वयं

बढ़–चढ़कर सहभागिता करें और हर कार्य के लिए सरकार की ओर ताकते रहने की प्रवृत्ति को त्यागे।

जीवन और उसका पोषण करने वाले पानी जैसे संसाधनों पर लोगों का अधिकार है जीवन के लिए पानी इतना जरूरी है कि जल पर अधिकार को नैसर्गिक अधिकार माना गया है जल अधिकार पर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार वक्तव्य में कहा गया है जल का मानवाधिकार प्रत्येक व्यक्ति को निजी तथा घरेलू उपयोग के लिए समुचित सुरक्षित स्वीकार्य सुलभ और सस्ते जल का अधिकार देता है शरीर में पानी की कमी से होने वाली मृत्यु को रोकने व्यक्तिगत एवं घरेलू साफ सफाई संबंधी जोड़ों को पूर्ति के लिए समुचित मात्रा में सुरक्षित जल आवश्यक है।

जल का मानवाधिकार जल पर अधिकार नहीं है जल का मानवधिकार प्राथमिक मानवीय आवश्यकता के लिए आवश्यक जल की मात्रा पर केंद्रित है अर्थात जल का मानव अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को उसके निजी और घरेलू उपयोग हेतु पर्याप्त सुरक्षित कम कीमत पर उपलब्ध पानी का अधिकार प्रदान करता है जो कि लगभग 50 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है।

भारत के संविधान राष्ट्रीय जल नीतियों और पंचवर्षीय योजनाओं में सुरक्षित पेयजल के प्रावधान को महत्व देने के बावजूद आज भी लगभग एक तिहाई आबादी के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध नहीं है संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित मापदंड के अनुसार प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष जल उपलब्धता में भारत का 180 देशों की सूची में 133 स्थान है जोकि जल प्रदाय सेवा पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाता है।

जल के संबंध में एक बात और काबिले गौर है कि सरकार को लोगों को स्वच्छ जल के प्रति उनके अधिकार के लिए तो उन्हें जागरूक करना ही चाहिए साथी उनमें इस चेतना का प्रचार भी करना चाहिए कि पानी और स्वच्छता कोई ऐसी चीज नहीं है जिसे राजनीतिक पार्टियों के एजेंडा के रूप में उसे खैरात में बांटा जाए इसका स्पष्ट अर्थ यह हुआ कि समय–समय पर जल पर पड़ने वाले प्रति बाहर को जनता स्वच्छता एवं सुरक्षित जल की गारंटी के रूप में स्वीकार कर प्रदान करें।

जल के संबंध में जितने दायित्व और कर्तव्य सरकार के हैं उपभोक्ता भी उनसे अछूता नहीं है उपभोक्ता का यह दायित्व है कि वे सुनिश्चित करें कि न केवल उसके

अधिकारों की रक्षा ही हो बल्कि पानी की बर्बादी और प्रदूषित होने से बचाने सेवाओं के लिए उचित मूल्य और प्रभार अदा करने अभाव के समय लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करने और व्यक्तिगत स्वच्छता सुनिश्चित करने अथवा स्वच्छता सेवाओं का लाभ उठाने में सरकार के साथ मिलकर काम करना भी उनका दायित्व है।

हर वर्ष दुनिया भर में एक अरब से भी अधिक लोगों को मजबूरन हानिकारक स्रोतों से जल इस्तेमाल करना पड़ता है इस आपदा से प्रतिदिन 3900 से अधिक बच्चे काल कलवित भी तो जाते हैं स्थिति की गंभीरता का आकलन इसी तथय से लगाया जा सकता है कि तकरीबन 10 में से 2 लोगों के पास सुरक्षित पेयजल का स्रोत उपलब्ध नहीं है विकासशील देशों में तो यह स्थिति और भी दयनीय है।

सैद्धांतिक तर्कों के बावजूद कोई भी इस तर्क से इनकार नहीं कर सकता कि पिछले 7 दशकों में जल सेवा प्रदाता के रूप में सरकार का अनुभव एक बड़ी विफलता ही कहा जाएगा जल की आपूर्ति टंकियों की सफाई जैसे सभी संकेतांक इस ओर इशारा करते हैं कि सरकारों की इसमें भूमि ना काफी रही है इसका स्पष्ट कारण यह है कि सरकार चाहे वह स्थानीय हो या राज्य स्तर पर उन्होंने हमेशा अपने को जल संपत्तियों के निर्माता के रूप में देखा है देखभाल करने वाले या उपयोगकर्ताओं को जल सेवा प्रदाता के रूप में नहीं।

वर्तमान संकट के शीघ्र क्रांतिकारी और लाभकारी परिवर्तन चाहते हैं तो यह जरूरी होगा कि उपयोगकर्ता को पानी पहुंचाने का दायित्व सेवा प्रदाता पर हो नेकी चुने हुए राजनीतिज्ञो पर सेवा प्रदान करने की इस महत्वपूर्ण भूमिका के लिए स्वयं समाज स्वयंसेवी संगठनों और निजी क्षेत्र इस में प्रभावी भूमिका का निरवाहन कर सकते हैं।

जहां तक जल को मुफ्त उपलब्ध कराने का मुद्दा है तो हमारे देश में ऐसे अनेक अध्ययन है जो बिना किसी संदेह के यह साबित करते हैं कि गरीबों को यह ढाचा सस्ते की तुलना में कहीं ज्यादा महंगा पड़ता है प्रवासी बस आवटो में रहने के कारण पानी की सप्लाई के यथोचित रखरखाव के अभाव एवं पानी की कम समय के लिए उपलब्धता जैसे कारकों के चलते जहां इन्हें एक और बिचौलियों जल माफिया को नगद भुगतान करना पड़ता है वही परोक्ष रूप से खराब गुणवत्ता के कारण उनके स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ता है जिसका नतीजा यह होता है कि उनकी उत्पादकता और आय में भी गिरावट आ

जाती है इन सभी अध्ययनों में यह बात स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आई है कि लोग पानी का भुगतान करने को तैयार है समस्या तो केवल प्रभार लगाने कीमत वसूलने की इच्छा शक्ति भर की।

जहां तक जल संसाधन की कीमत का प्रशन है तो हमें यह स्मरण रखना होगा कि यह संसाधन हमें काफी दूर होते हैं इस पर सरकारी असले की क्षमता चोरी और बर्बादी की प्रकृति सरकार के असली खर्च को और अधिक बढ़ा देता है ऐसे माहौल में यदि अमृत्य संपोषणीय था और हमारे सीमित प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में संतुलन बिठाना चाहते हैं तो अस्थल लागत को वसूल करने के अत्यधिक तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है हमें यहां यह भी सावधानी बरतनी होगी कि लागत की गणना वास्तविक व्यय के आधार पर न करके कुशलता और दक्षता के मध्यनजर करनी होगी।

पानी एक सीमित संसाधन है और समाज की केवल एक ही पीढ़ी की जागीर नहीं है उदाहरणार्थ हमें अभी तक यह मालूम ही नहीं है कि अनुचित दोहन का दीर्घकालीन प्रभाव क्या होगा पानी और पानी के संसाधनों को नियम वध करने के लिए भौतिक और वित्तीय दोनों ही दांतों का उपयोग किया जाना चाहिए दीर्घकालीन मास्टर प्लान बनाकर पानी के दोहन और उपयोग की योजना तैयार करनी चाहिए।

हमें यह बात मान लेनी चाहिए कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों के कुशल प्रबंधन में ही बुद्धिमानी है इसके लिए जरूरी है कि हम दूरदर्शी नजरिए को अपनाकर बुनियादी सिद्धांतों को तेजी से अमल करें हमें अपने संस्थागत व्यवस्थाओं पर फिर से काम करने की आवश्यकता है ताकि उनकी जवाबदेही और कार्यकुशलता में इजाफा हो सके।

2011 की जनगणना में जल और स्वास्थ्य का जटिल अंतर संबंध

जनगणना 2011 के आंकड़ों के अनुसार जहां तक घरों में सुविधाओं का प्रश्न है 43 पॉइंट 3 प्रतिशत घरों में पाइप के जरिए पानी आता है जिससे जिसमें से 32: उपचारित जल होता है और 11 पॉइंट 5: अनौपचारिक है 42: घरों में हैंडपंप और नलकूप का इस्तेमाल होता है 11: लोग कुएं के पानी का प्रयोग करते हैं और 3: लोग ही पानी के अन्य स्रोतों का उपयोग करते हैं।

परिवारों को स्नान की सुविधा अपने घर में ही मिली हुई है इस आंकड़े को ग्रामीण व शहरी नजरियों से देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में 45: लोग हैं और शहरी क्षेत्रों में 86: लोगों के घरों में ही गुल्लक खाने बने हुए हैं।

जहां तक शौचालय की सुविधा का प्रश्न है तो हमारे यहां आज भी 47: परिवारों को ही यह सुविधा उपलब्ध है एक ऐसा देश जो विश्व की आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है इसके लिए यह स्थिति कई प्रश्न खड़े करती है एक और बात जो हमें हतोत्साहित करती है वह यह है कि हमारे यहां आज भी लाखों महिलाओं को मिलो पानी लाने के लिए चलना पड़ता है।

हम यहां इन बच्चों की इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जल एक जीवन रक्षक अधिकार होने के साथ–साथ इसके सामाजिक सांस्कृतिक पक्ष भी हैं जैसे सोचा लोगों की स्थिति के संदर्भ में समाज में यह बात उठना वाजिब है कि महिलाओं को इसके लिए मांग उठाने चाहिए क्योंकि इसका सीधा संबंध स्वास्थ्य के साथ–साथ उनकी आवाज से दी है परंतु शौचालयों की आवाज बुलंद करने वालों को पानी की उपलब्धता और शौचालयों के अनुपात का अंतर नजर नहीं आता यानी कि घरों में शौचालय होगा तो उसके लिए पानी की आवश्यकता होगी घर में पानी की उपलब्धता का प्रबंधन करना महिलाओं के कंधों पर है जो ऐसे में महिला शौचालय निर्मल पानी के लिए इतनी दूर क्यों जाएगी ऐसी स्थिति उससे तो खुले में सोच ही आसान लगेगा।

जल प्राप्त जो कि प्राकृतिक संसाधनों का राजनीतिक संदर्भ भी है जल की राजनीति के अनेक राज्यों में क्षेत्रीय दलों के प्रभुत्व बढ़ावा एवं उन्हें राज्यों की सत्ता पर काबिज भी किया है नदियों के पानी को लेकर अनेक राज्यों यथा कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर कर्नाटक तथा तमिलनाडु के बीच जल जमुना को लेकर पंजाब हरियाणा के बीच विवाद वर्षों पुराना है।

भौगोलिक एवं पर्यावरण विधि बताओ वाले हमारे देश में जल स्रोत के प्रबंधन हेतु निम्न कार्य नीति अपनाई जानी चाहिए –

1. विकास की पोस्ट नेता सुनिश्चित करने के लिए वातावरणीय स्वास्थ संबंधी जरूरतों का विकास के बीच न्याय उचित संतुलन स्थापित करना।

2. कसी भी विकासात्मक रियायत आ बांधों का निर्माण जल विद्युत परियोजनाएं तापीय विद्युत घरों की स्थापना औद्योगिक इकाईयों की स्थापना आदि में जल की आवश्यकता तथा प्रबंधन के मदन अजय पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों के अध्ययन हेतु पर्यावरण प्रबंधन परियोजना प्रस्तुत की जानी चाहिए ताकि जल्द से पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव को कम से कम किया जा सके।
3. औद्योगिक विकास तथा शहरों के बढ़ते आकार ने हमारे प्राकृतिक जल स्रोतों को खतरनाक स्थिति तक प्रदूषित किया है कंक्रीट के बढ़ते इन जंगलों की सुख–सुविधाओं पर तो हमें प्रमुखता से ध्यान दिया परंतु इनसे निकलने वाले गंदे पानी के निस्तारण पर उतना ईमानदारी से प्रयास नहीं किया और यदि निस्तारण का रास्ता भी निकाला तो इस गंदे पानी को नदियों झीलों तथा तालाब छोड़कर इसका परिणाम यह हुआ कि यह हमारे प्राकृतिक संसाधन उच्च स्तर आज प्रदूषित हो गए हैं।

आज आवश्यकता है कि हम गंभीरता से इन अनौपचारिक गंदे पानी के प्रबंधन पर विचार करें ताकि भावी पीढ़ियों के लिए यह प्राकृतिक संसाधन शेष रह सके।

4. जल से जुड़ा एक प्रमुख मुद्दा जल स्रोत की संपूर्णता का है इस हेतु जहां जल संसाधन अभाव हो वहां पानी की रिचार्ज संबंधी गतिविधियों को मूर्त रूप देने हेतु पंचायती राज संस्थाओं को संचालन और पोषण हेतु पर्याप्त वित्तीय संस्था प्रदान किए जाने चाहिए तथा उन्हें इन कार्यों को अहारी स्तर पर मूर्त रूप दिए जाने हेतु प्रोत्साहित करने के साथ–साथ नैतिक व कानूनी रूप से भी आबाद करना चाहिए।
5. जल स्रोतों को दीर्घ जीवी बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए इसे तू जहां जल स्रोतों का पता लगाने वाली वैज्ञानिक दक्षा के साथ–साथ पानी को रिचार्ज करने के लिए सामूहिक कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिए।
6. सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल तथा स्वास्थ्य सुविधा किसी भी राष्ट्र के लोगों के स्वास्थ्य की कुंजी होती है।
7. पेयजल आपूर्ति के संबंध एवं एक प्रमुख मुद्दा आपूर्ति प्रणालियों के प्रबंधकों की तकनीकी क्षमता से भी जुड़ा हुआ है पेयजल आपूर्ति क्षेत्र में वर्तमान में जो अधिकारी कार्यरत हैं उनमें से अधिकांश की शैक्षणिक पृष्ठभूमि शिवली यांत्रिकी की है जबकि

भूजल आधारित प्रणालियों के लिए भूजल विज्ञान की पृष्ठभूमि की विशेषज्ञता की जरूरत होती है यदि इनकी सेवाएं ली जाए तो यह कर्मचारी विवरण संपोषणीय के मुद्दों को प्रभावी ढंग से समझ कर अपना काम कर सकेंगे।

8. पेयजल प्रणाली के पीछे यदि पर्यावरण का मुद्दा जुड़ा है तो उससे भी अधिक महत्व है स्वास्थ्य इन दिनों के लिए रोगों का प्रकोप बढ़ता जा रहा है इसके समाधान हेतु लोगों को सुरक्षित जल और इसके उपयोग के बारे में जागरूक बनाने की जरूरत है।
9. यदि हम बहुमूल्य और दिनोंदिन क्षीण होते जा रहे हैं देश के जल संसाधन के संरक्षण और परीक्षण के लिए अभी से सावधान नहीं हुए तो हमें पाने के गंभीर संकट का सामना करना पड़ेगा हमें अपने देश में जल संरक्षण के लिए नागरिक और सरकार के बीच भागीदारी को मजबूत बनाने के साथ–साथ गैर सरकारी संगठनों को भी समाज के इस व्यापक हित हेतु आगे आने के लिए माकूल ढांचागत व्यवस्था करनी चाहिए।

निष्कर्ष –

समग्र आर्थिक विकास का जीवन रक्षक तत्व के रूप में जल के महत्व को समझते हुए इसका उपयोग एक कीमती वस्तु के रूप में किफायती के साथ किया जाना चाहिए।

प्रत्येक व्यक्ति संस्थान उद्योगपति नीति कार को यह समझ लेना चाहिए कि यदि जल संग्रहण को अपनाकर वर्षा के पानी के इस्तेमाल को प्रमुखता बढ़ाने की गई और लगातार इसका दोहन होता रहा तो इसकी मार सब को यथा कृषक उद्योगपति व्यापारी सभी को समान रुप से उठानी होगी भारतीय अर्थव्यवस्था के कर्णधार किसान को भी जल स्रोतों के न्याय उचित प्रबंधन तथा वर्षा के पानी के संग्रहण एवं उपयोग के लिए प्रेरित एवं जागरूक करना होगा ताकि जलस्रोत दीर्घकाल तक सुरक्षित रह सके।

इन सब से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है कि लोग व्यक्तिगत स्तर पर जल के प्रति अपने उदासीनता एवं स्वास्थ्य नजरे को त्याग दें नहीं तो वह दिन दूर नहीं जब हम एक एक बूंद के लिए तरसेंगे।

संदर्भ पुस्तकें –

1. A.K. Biswas (1976) : System Aproch of Water Manegement, Tata MC Grow Hill Publication Comp. United New Delhi
2. K.M. Pillai (1987) : Water Management and Planning, Himaliyan Publication House, Bombay
3. N.M. Avasthi and R.P. Tiwari (2004) : Water Resourse and Environmental Management A.P.H. Publication Cop. New Delhi
4. Om Prakash Mathur & Sandeep Thakur (2006) : Urban Pricing : Setting the Stage of Reforms India
5. K. Palanisami, K.R. Kakumanu, RPS Malik (2015) : Water,Pricing Exprincees in India : Eng. Isues 161-180
6. S. Joseph P, W.C. Sonia (1996) : Social Issue Rilative to water Vol. 39 Issue 3 PP 299-309
7. Diana Day (1996) : Water as a Social Good, Australian Journal of Environmental Manegement Vol 3 Page 26-41
8. Bruce Mitchell (1984) : The Value of water as a Commadily, Canadian water Resourcess Journal Vol. 9 Page 30-37
9. Viaggi S, Zanni M (2014) : Changing Parspectives on the Economics of water